

दिनांक

आज्ञा पत्र

३-१२-१९


अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन आवेदन पर वकील अपीलांट को सुना गया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने प्रकरण संख्या ३१७/२०१९ में एकतरफा स्थगन आदेश दिनांक १०.१०.२०१९ से वाके ग्राम भूदोली की भूमि खसरा नम्बर २२६४,२२६६ के सन्दर्भ में अप्रार्थीगण को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया है। अपीलांट का कथन है कि उक्त विवादित भूमियां सहखातेदारी की है उक्त स्थगन की आड़ में विचारण न्यायालय में आवेदनकर्ता एवं स्थगन प्राप्तकर्ता द्वारा अपीलांट को अपनी खातेदारी एवं कब्जे काशत की भूमि को काशत करने में बाधा उत्पन्न की जा रही है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि कृपया संशोधन आदेश पारित करावें कि उक्त स्थगन की आड़ में अपीलांट को अपनी खातेदारी एवं कब्जे काशत की भूमि को काशत करने में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन स्थगन बाधक नहीं रहेगा।

हमने अपीलांट की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया। यह स्वीकृत तथ्य है कि विचारण न्यायालय द्वारा विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए अप्रार्थीगण को पाबन्द किया है। न्यायालय का मत है कि स्थगन से उभयपक्ष को पाबन्द किया जाना चाहिए। जहां तक काशत का सम्बंध है यह स्पष्ट किया जाता है कि मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन आदेश सहकाशतकार को उसके हिस्से की भूमि काशत करने में बाधक नहीं होता है। चूंकि अपीलांट द्वारा अन्तरिम अस्थाई के आदेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलांट की अपील इसी स्तर पर निस्तारित किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन अस्थाई निषेधाज्ञा में संशोधन किया जाता है एवं उक्त विवादित भूमि के सन्दर्भ में उभयपक्ष को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया जाता है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह अस्थाई



५०५

दिनांक	आज्ञा पत्र
	<p>निषेधाज्ञा उभयपक्ष को उनके हिस्से की भूमि की काश्त में बाधक नहीं होगी। प्रकरण इस आदेश के साथ विचारण न्यायालय को उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर अन्तिम निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 03.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> (राजवीर सिंह चौधरी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर</p>